



उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगल एक्सेल (12 मी. की
चेसिस)

बसों के अनुबन्ध

हेतु ई-निविदा प्रपत्र

ई-निविदा प्रपत्र का बिक्री मूल्य रू0 5,000/- एवं 18 %जीएसटी अतिरिक्त

ई-निविदा हेतु निर्धारित कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम	समय
1	दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	दिनांक 26.10.2019
2	ई-निविदा प्रपत्र ई-पोर्टल (etender.up.nic.in) पर अपलोड करने की अवधि	दिनांक 29.10.2019 से प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 13.11.2019 को समय 15:00 बजे तक
3	तकनीकी बिड डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 13.11.2016 सायं 16:00 बजे तक
4	तकनीकी आधार पर सफल निविदा दाताओं की वित्तीय बिड ई-पोर्टल से डाउनलोड की जायेगी।	



उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगल एक्सेल (12 मी. की
चेसिस)

बसों के अनुबन्ध

हेतु ई-निविदा प्रपत्र

(वोल्वो, स्कैनिया, मर्सडीज अथवा समकक्ष श्रेणी की बसे)

तकनीकी भाग

नियम व शर्तें

उत्तरप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगल एक्सेल (12 मी. की चेसिस) बसों के अनुबन्धन हेतु आवेदन प्रपत्र

(वोल्वो, स्कैनिया, मर्सडीज अथवा समकक्ष श्रेणी की बसे)

फार्म संख्या:- मूल्य रु. 5,000/-+18 प्रतिशित जी.एस.टी.(रु.900/-) = कुल रु. 5900/-
(नॉनरिफन्डेबल)

- आवेदनकर्ता (बस मालिक) का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रति सहित पूरा नाम एवं पता.....
- यदि ई-निविदा किसी फर्म, लिमिटेड कम्पनी, संस्था द्वारा दी जा रही है तो उक्त का संक्षिप्त विवरण एवं फर्म/संस्था द्वारा किये जा रहे व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण.....
- ई-निविदा प्रस्ताव में ई-निविदा के शर्तों के आधार पर वर्तमान में ई-निविदा दाता के नाम से बस की पंजीयन की तिथि दिनांक 01-04-2019 अथवा उसके उपरान्त की बस अनुबन्ध हेतु उपलब्ध है:-

हाँ नहीं उपयुक्त कालम में सही का निशान (✓) टिक करे।

- यदि ई-निविदा दाता के पास बस उपलब्ध है तो चयन होने पर पंजीयन अधिकारी से मार्गकर, यात्रीकर, फिटनेस का अदेयता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति सम्बन्धित अधिकारी को अवलोकित कराते हुए स्वप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायेंगे।
- प्रस्ताव द्वारा निगम में अनुबन्ध के संचालन हेतु प्रस्तावित मार्गों का वरीयता क्रम (निगम द्वारा इन्हीं मार्गों पर बस का संचालन बाध्यकारी नहीं होगा) :-

बसों की संख्या	वरीयता क्रम में आवेदित मार्ग का विवरण

मैं/हम अपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिये समस्त विवरण सही व सत्य है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक.....

निविदाकर्ता का नाम

पता:-.....

मोबाइल नम्बर:-.....

ईमेल आईडी:—.....

Downloaded from
www.upsrtc.com

उत्तरप्रदेश परिवहन निगम
मुख्यालय, लखनऊ

ई-निविदा प्रपत्र की धनराशि रु. 5000/- + 18 प्रतिशित जी.एस.टी.(रु 900/-)=कुल रु. 5900/-
(नॉनरिफण्डेबल)

पत्रांक.....

ई-निविदा प्रपत्र एवं प्रतिभूति धनराशि जमा किये जाने का विवरण

सेवा में,

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ

महोदय,

मेरे/हमारे द्वारा ई-निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त नियम व शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के उपरान्त उपरोक्त ई-निविदा से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। मेरे द्वारा ई-निविदा मूल्य की धनराशि रु0 5900.00 शब्दों में (रुपया पाँच हजार नौ सौ मात्र) एवं प्रतिभूति की धनराशि रु. 70,000.00 शब्दों में (रुपया सत्तर हजार मात्र) प्रति बस के आधार पर प्रस्तावित कुल बसों हेतु कुल प्रतिभूति राशि रु. शब्दों में (रुपया.....) आर.टी.जी.एस के माध्यम से परिवहन निगम के खाता में जमा कराया गया है:-

निगम मुख्यालय के बैंक खाते का विवरण निम्नवत् है :-

1. खाता संख्या- 628105031501
2. आई.एफ.एस.सी. कोड-ICIC0006281
3. बैंक एवं शाखा का नाम-आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
4. बैंक एवं शाखा का पता-हजरतगंज, लखनऊ.

ई-निविदा दाता द्वारा आर.टी.जी.एस के माध्यम से निगम कोष में जमा की गयी ई-निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि का विवरण।

(अ) निविदा शुल्क की जमा धनराशि रु.....शब्दों में (.....)

यू.टी.आर. संख्या.....दिनांक

बैंक एवं शाखा का नाम/पता

(ब) निविदा हेतु प्रतिभूति की जमा धनराशि रु0.....शब्दों में (.....)

यू.टी.आर. संख्या.....दिनांक

बैंक एवं शाखा का नाम/पता

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक.....

निविदाकर्ता का नाम

पता:-.....

मोबाइल नम्बर:-.....

ई-निविदा हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें

उत्तरप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगल एक्सेल (12 मी.की चेसिस) बसों को निजी निवेशकों के माध्यम से अनुबन्ध किये जाने हेतु सामान्य नियम व शर्तें निम्नवत् है :-

1. दिनांक 01.04.2019 अथवा इसके उपरान्त पंजीकृत बस को हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगल एक्सेल (12 मी. की चेसिस) बस योजना में सम्मिलित किया जायेगा।
2. निविदा प्रपत्र वेबसाईट -etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगी तथा निविदा शुल्क की धनराशि एवं प्रतिभूति धनराशि, निगम के खाते में RTGS के माध्यम से जमा करते हुये, विवरण के साथ निविदा आन-लाईन प्रेषित की जायेगी।
3. हाई एण्ड बसों का आशय - उक्त श्रेणी की वातानुकूलित लज्जरी बसों सिंगल एक्सेल (12 मी. की चेसिस, न्यूनतम 280 बी.एच.पी., रियर इन्जन) यथा वोल्वो, स्कैनिया, मर्सडीज अथवा समकक्ष श्रेणी की बसों से है।

विभिन्न मार्गों पर यात्री परिवहन सुविधा को विकसित करने के उद्देश्य से हाई एण्ड सिंगल एक्सेल (12 मी. की चेसिस) वातानुकूलित बसों को निगम में अनुबन्ध करने की योजना है। निगम के बस बेड़े में सम्मिलित किये जाने हेतु हाई एण्ड वातानुकूलित बसों को निजी निवेशकों द्वारा अनुबन्ध के आधार पर सीमित संख्या में प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर निम्नवत् संचालित किया जायेगा :-

3.(क) -हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगल एक्सेल (12 मी. की चेसिस) बस सेवा हेतु प्रस्तावित मार्गों का विवरण

क्र.सं०	मार्ग का नाम	प्रस्तावित बसों की संख्या
1	लखनऊ-बलिया	2
2	लखनऊ-वाराणसी	2
3	लखनऊ-नोएडा	2
4	लखनऊ-दिल्ली	2
5	लखनऊ-प्रयागराज	2
6	लखनऊ-देहरादून	2
7	गोरखपुर-लखनऊ-दिल्ली वाया एक्सप्रेस वे	2
8	गोरखपुर-काठमाण्डू वाया सोनौली	1
9	गोरखपुर-आगरा	2
10	सोनौली-हरिद्वार वाया गोरखपुर, बस्ती, एवं श्रावस्ती	1
11	वाराणसी-गोरखपुर-काठमाण्डू	1
12	दिल्ली-देहरादून	6
13	दिल्ली-ऋषिकेश	2
14	दिल्ली-कोटद्वार	1
15	दिल्ली-बरेली	2
16	दिल्ली-रामनगर (जिम कार्बेट पार्क)	2
17	दिल्ली-जम्मू-कटरा	2
18	दिल्ली-चण्डीगढ़	2
19	दिल्ली-शिमला	2
	कुल बसों की संख्या	40

3.(ख)–हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगल एक्सेल (12 मी. की चेसिस) बसों के मानक निम्नवत हैं :-

हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगल एक्सेल (12 मी. की चेसिस) बस जो मोटर व्हेकिल एक्ट एवं रूल्स के प्राविधानों के अर्न्तगत निर्मित हो और सक्षम अधिकारी (सम्भागीय परिवहन कार्यालय) से पास हो एवं निम्नलिखित विशिष्टताएं रखते हो :-

1. चेसिस की लम्बाई (length) 12 मीटर। न्यूनतम 280 बी.एच.पी. रियर इन्जन।
2. सीट ले-आउट- 2×2 ले-आउट में CMV rules के निर्धारित मानक एवं बस कोड के आधार पर होगी। बस का डिजाइन एवं सीट ले-आउट निर्धारित ए.आई.एस. मानक के अनुरूप होना चाहिये।
3. 01 अप्रैल 2019 के उपरान्त के मॉडल की बसों को अनुबन्ध में लिया जायेगा।
4. ऑडियो और इण्टर्नल फ्लोरसेण्ट ट्यूब लाईटिंग का प्राविधान होना चाहिये।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त वाहनों में म्यूज़िक सिस्टम, लगेज कैरियर (डिक्की) एवं आकस्मिक निकास द्वार होना अनिवार्य है।
6. ए.सी. यूनिट के सम्बन्ध में तकनीकी मानक :-
 - वातानुकूलित सयंत्र कम्पनी फिटैड होना चाहिए।
 - बस में वायुशीतन यंत्र के साथ वायुतापन व्यवस्था अनिवार्य होगी।
7. बस का कलर स्कीम निगम द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3(ग)–वाहन स्वामी को देय भुगतान एवं प्रोत्साहन का निर्धारण

- 1 डीजल मानक का निर्धारण निगम की समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके आधार पर डीजल मद में वास्तविक व्यय का समायोजन/प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 2- संचालित कि०मी० पर रु. 6.00 प्रति कि०मी० का प्रशासनिक शुल्क निगम को देय होगा। हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगलएक्सेल (12 मी. की चेसिस) बसों के प्रशासनिक शुल्क में परिवर्तन करने का अधिकार निगम में निहित होगा।
- 3-**शुद्ध आय का अभिप्राय** सकल आय से अतिरिक्त कर, निधियों में संग्रहित धनराशि, टोल टैक्स एवं अन्य संग्रहित धनराशि को घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि से है। शुद्ध आय से डीजल मद में हुए व्यय एवं प्रशासनिक शुल्क, अतिरिक्त कर एवं अन्य देयको के समायोजन के उपरान्त अवशेष धनराशि से निविदा में स्वीकृत दर की सीमा तक वाहन स्वामी को भुगतान किया जायेगा।
- 4-**शुद्ध आय से भुगतान एवं समायोजित की जाने वाली धनराशि के समायोजन के उपरान्त** अवशेष धनराशि का 30 प्रतिशत धनराशि वाहन स्वामी को प्रोत्साहन के रूप में देय होगा परन्तु किसी माह विशेष में वाहन से संचालन से 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक लोडफैक्टर प्राप्त होने पर अवशेष धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि प्रोत्साहन के रूप में देय होगा। इस प्रक्रिया में देय प्रोत्साहन का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा परन्तु प्रोत्साहन की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए प्रोत्साहन की धनराशि का समायोजन किया जायेगा।
- 5- वाहन स्वामी को संचालित कि०मी० के आधार पर पाक्षिक भुगतान किया जायेगा।

3(घ)–मार्ग पर बस के संचालन हेतु सभी वैधानिक नियमों का पालन करने का दायित्व वाहन स्वामी का होगा तथा बस संचालन के दौरान निम्न प्रपत्र पूर्ण एवं स्वीकार्य होना आवश्यक है :-

- 1- बस की फिटनेस वैध हो।
- 2- बस की इन्शोरेंस वैध हो।
- 3- चालक का लाइसेंस वैध हो एवं निगम द्वारा निर्धारित रंग की वर्दी में बस का संचालन करना अनिवार्य होगा।
- 4- बस के अन्दर व बाहर की सफाई उच्च स्तर की हो तथा तकनीकी रूप से फिट हो।
- 5- मानक के अनुरूप बस में सुरक्षा के समस्त व्यवस्था उपलब्ध हो।

3(ड)—निगम में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार यात्री सुविधाओं की समस्त आवश्यकताओं एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किये जाने का दायित्व वाहन स्वामी का होगा, अन्यथा की स्थिति में भुगतान की धनराशि से निर्धारित कटौती की जायेगी।

1. निगम स्तर पर रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर बस स्वामी को मार्ग आवंटित किया जायेगा, यदि आवेदनकर्ता को निगम द्वारा बस अनुबन्ध की अनुमति नहीं दी जाती है, तो निविदादाता द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि निविदादाता को वापस कर दी जायेगी। निविदा शुल्क के मद में जमा राशि वापस नहीं की जायेगी। वापस की जाने वाली किसी भी धनराशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
2. निविदा हेतु निविदा प्रपत्र के फाईनेन्शियल बिड के कॉलम संख्या 8 (प्रस्तावित बसों की संख्या) तथा कालम संख्या 13 (नेट दर प्रतिकि.मी. - रु. में) मात्र के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। शेष कालम संख्या 4, 5, 6, 54 तथा 55 में अंकित सूचना मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त नहीं होगी।
3. हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगल एक्सेल (12 मी. की चेसिस) बसों हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक 29.10.2019 से 13.11.2019 तक वेबसाइट etender.up.nic.in पर आनलाईन भरे जायेंगे। निविदा के मद में रु. 5,900/- (जी.एस.टी.सहित) एवं प्रतिभूति के मद में रु. 70,000/- प्रति बस जमा कर, निविदा पूर्ण की जा सकेगी। प्रस्तावकों द्वारा निविदा में उल्लिखित मार्गों पर ही अनुबन्ध करना निगम हेतु बाध्यकारी नहीं होगा।

4. चयन का आधार

1. प्रस्तावक द्वारा निविदा के फाईनेन्शियल बिड में अंकित (Net Rate in Rs. Per Kilometer) अंकित दर के समस्त प्रस्तावकों में न्यूनतम होने के आधार पर होगा।
2. एक से अधिक प्रस्तावकों द्वारा समान दर अंकित किये जाने एवं न्यूनतम होने की स्थिति में बिड प्रस्तावक द्वारा फाईनेन्शियल बिड के कॉलम संख्या 8 में अंकित बसों की अधिक संख्या के आधार पर चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी। न्यूनतम दर एवं प्रस्तावित बसों की संख्या समान होने पर लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।
3. निगम द्वारा समस्त प्रस्तावकों के फाईनेन्शियल बिड में अंकित न्यूनतम दर के आधार पर ही अन्य मार्गों हेतु बसों के अनुबन्ध का प्रस्ताव अन्य प्रस्तावकों को उनके द्वारा निविदा में अंकित दर के वरीयता क्रम में लिया जायेगा तथा निविदा में प्राप्त हुई न्यूनतम दर पर अनुबन्ध स्वीकार करना प्रस्तावक हेतु बाध्यकारी होगा। अन्यथा की स्थिति में ऐसे प्रस्तावक जिनके द्वारा निविदा में प्राप्त हुई न्यूनतम दर पर अनुबन्ध स्वीकार नहीं किया जायेगा उनकी निविदा निरस्त करते हुए प्रतिभूति धनराशि वापस की जायेगी।
4. निगम द्वारा उक्त निविदा हेतु ASRTU की दर अनुबन्ध में समान श्रेणी की बसों हेतु संसूचित न्यूनतम दर मानक के रूप में प्रयुक्त की जायेगी। वर्तमान में 06 बस के प्रस्तावकों हेतु रूपये 21.48 प्रति कि०मी० तथा 06 से अधिक प्रस्तावकों हेतु 21.22 प्रति कि०मी० है।

प्रस्तावकों के न्यूनतम दर के प्रस्ताव इस मानक दर से अधिक होने पर अनुबन्ध हेतु यह मानक दर प्रयुक्त की जायेगी तथा निविदा के अनुमन्यता इसी दर के आधार पर होगी जो प्रस्तावक को स्वीकार करना बाध्यकारी होगा।

5. निगम द्वारा किसी भी स्थिति में किसी निविदा को अस्वीकार करने अथवा पूर्ण निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार निगम में सुरक्षित रहेगा।

5. प्रस्तावक को निगम द्वारा अनुबन्ध हेतु अनुमति प्रदान करने की तिथि से 90 दिन के अन्दर बस उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी। 90 दिन में बस उपलब्ध न करा पाने की दशा में प्रस्तावक द्वारा 90 दिन की समाप्ती के पूर्व निगम प्रबन्ध से अधिकतम 30 दिन की अवधि विस्तार का अनुरोध कर तथा विलम्ब शुल्क रु. 25,000.00 (पच्चीस हजार मात्र) जमा कर अधिकतम 30 दिन की अवधि विस्तार की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। सामान्य स्थिति में 90 दिवस में बस उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अथवा समय विस्तार के साथ 120 दिन में बस उपलब्ध न कराये जाने पर प्रस्तावक द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि विलम्ब शुल्क सहित जब्त करते हुए प्रस्तावक की निविदा निरस्त की जायेगी।

6. हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगल एक्सेल (12 मी. की चेसिस) बसों का अनुबन्ध बस के पंजीयन तिथि से अधिकतम 08 वर्ष हेतु होगा।

7. हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगल एक्सेल (12 मी. की चेसिस) अनुबन्धित बसों हेतु रेड कॉरिडोर मार्गों से सम्बन्धित प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।

8. अनुज्ञापित मार्गों पर, जिसका विवरण बी. ओ. क्यू (Bill of Quantity) प्रपत्र 'स' में उपलब्ध है, पर अनुबन्धन हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

9. ई-निविदा प्रपत्र शासन के ई-पोर्टल – etender.up.nic.in पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण रूप से भर कर अपलोड होना चाहिए। ई-निविदा शुल्क के रूप में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा की गयी ई-निविदा प्रपत्र की धनराशि रु 5900/- मात्र (निविदा मूल्य + 18% जीएसटी), जो नॉन रिफण्डेबल धनराशि है, को निगम मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा कराया जाना होगा, जिसका विवरण यू. टी.आर. संख्या प्रपत्र-ब में उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

10. ई-निविदा कर्ता द्वारा प्रत्येक ई-टेण्डर फार्म के साथ प्रपत्र-अ में अनुज्ञापित मार्ग से चयनित मार्ग का नाम एवं अनुज्ञापित पत्र में उक्त मार्ग के उल्लिखित मार्ग के क्रमांक का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

11. प्रत्येक ई-निविदा कर्ता को तकनीकी ई-निविदा (Technical bid) एवं वित्तीय ई-निविदा (Financial bid) पृथक से ई-टेण्डर पोर्टल पर दिये गये दिशा-निर्देश एवं परिवहन निगम की शर्तों के अनुरूप अपलोड करना होगा।

12. वित्तीय ई-निविदा मात्र प्रपत्र-‘य’ है तथा मार्ग का विवरण तकनीकी ई-निविदा प्रपत्र-अ, ब एवं स में सम्मिलित है।

13. प्रत्येक अनुज्ञापित मार्गों पर एक बस का अनुबन्ध किया जायेगा।

14. सर्वप्रथम तकनीकी ई-निविदा ई-पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड की जायेगी, जिन ई-निविदाकर्ता की तकनीकी ई-निविदा उपयुक्त पाई जायेगी उन्हीं ई-निविदा कर्ताओं की वित्तीय बिड को सूचित की गई दिनांक व समय पर डाउनलोड किया जायेगा।

15. निर्धारित तिथि एवं समय, जो ई-निविदा प्रपत्र में उल्लिखित है, को मुख्यालय पर गठित समित द्वारा तकनीकी ई-निविदा को डाउनलोड किया जायेगा।

16. तकनीकी प्रपत्रों की कागजी प्रति (Hard copy) तकनीकी निविदा अपलोड करने के अन्तिम तिथि एवं समय तक निगम मुख्यालय में प्राप्त कराया जाना आवश्यक होगा।

ई-निविदा कर्ता की अयोग्यता/अनर्हता (Disqualification) का आधार

1. भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा सरकार की किसी संस्था द्वारा ई-निविदा कर्ता को किसी ई-निविदा में प्रतिभाग किये जाने हेतु वंचित किया गया हो।
2. ई-निविदा कर्ता उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत हो एवं स्वयं/पत्नी व रक्त सम्बन्धी के नाम से ई-निविदा दिया गया हो।
3. तकनीकी एवं वित्तीय प्रपत्रों के अपूर्ण होने की दशा में।
4. निर्धारित निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के नही/कम जमा किये जाने की स्थिति में।
5. अनुज्ञापित मार्ग के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग का आवेदन करने पर ई-निविदा अयोग्य घोषित की जायेगी।
6. ई-निविदा प्रपत्र की धनराशि रू. 5000/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी.(रू900/-)कुल रू. 5900/- वापस नहीं की जायेगी।



उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

हाई एण्ड वातानुकूलित सिंगल एक्सेल (12 मी. चेसिस)

हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

फाईनेन्शियल बिड

Item Rate BoQ

Tender Inviting Authority: CHIEF GENERAL MANAGER (OPERATION)

Name of Work: HIGH END AIR CONDITION SINGLE AXLE BUSES

Contract No:

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :								
PRICE SCHEDULE								
(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be updated after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)								
NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER	TEXT	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Quantity	Units	Estimated Rate	Offered No of Bus(es)	Nett Rate (In Rs.) Per Kilometer	TOTAL AMOUNT	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	4	5	6	8	13	54	55
1	PASSENGER HIGH END AC BUSES ON CONTRACT BASIS							
1.01	FOR PASSENGER HIGH END BUSES CONTRACT BASIS IN DIFFERENT REGIONS IN UPSRTC	0.000	Nos	0.00			0.000	INR Zero Only
Total in Figures							0.000	INR Zero Only
Quoted Rate in Words							INR Zero Only	

Downloaded from www.upsrtc.com